30/2021/ ।/111164/2021/71-4099/1728/2019-4

प्रेषक,

आलोक कुमार,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र 0शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,

सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक 01 नवम्बर , 2021

विषय-: वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 से विश्वविद्यालय के अन्तर्गत निर्माणाधीन 500 बेडेड सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक परिसर में श्रेणी-05 के 100 आवासों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2032/ई/यूपीयूएमएस/एफएण्डए(103)/2021-22 दिनांक 05-10-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत निर्माणाधीन 500 बेडेड सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक परिसर में श्रेणी-05 के 100 आवासों के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 8405.63 लाख के सापेक्ष अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल रू० 4532.583 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नवत् है-:

क्र0सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	अवमुक्त धनराशि (लाख में)
1	2016/09/71-2-17-एस-5/2015 दिनांक 03.01.2017	2763.25
2	13/2019/1308/71-4-19-एस-5/2015 दिनांक 03.12.2019	580.28
3	14/2020/413/71-4-20-एस-5/2015 दिनांक 26.03.2020	348.49
4	38/2020/2022/71-4-20-एस-5/2015 दिनांक 16.12.2020	840.563
	योग	4532.583

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत निर्माणाधीन 500 बेडेड सुपरस्पेशिलिटी ब्लॉक परिसर में श्रेणी-05 के 100 आवासों के निर्माण कार्य हेतु अनुदान संख्या-83 से रू0 1024.27 लाख (रूपये दस करोड़ चौबीस लाख सत्ताइस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल शासनादेश संख्या-38/2020/2022/71-4-20-एस-5/2015 दिनांक 16.12.2020 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2021-22 के आय व्यय के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखा शीर्षक "4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-29- रूरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सैफई, इटावा-00-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 तथा समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26/ब0प्र0-2015 दिनांक 27.03.2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किए गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कोषाधिकारी, इटावा।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज ।
7. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबंधक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ/इटावा।
8. संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, (चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3) उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।